

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना
जमाबंदी रद्द (शिकायत) वाद संख्या-146/2017-18

रंजन कुमार बनाम राज्य एवं अन्य
(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10/07/18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>इस वाद की कार्यवाही जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1227 दिनांक-17.03.2018 से प्राप्त रंजन कुमार, इन्द्रपुरी रातु रोड, राँची के परिवाद पत्र अनन्य सं०-428110124021801695 के आलोक में आरम्भ की गयी।</p> <p>इस वाद में आवेदक को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निबंधित नोटिस की गयी। आवेदक को भेजी गयी निबंधित नोटिस बिना तामिला के वापस हो गयी।</p> <p>आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी, पटना सदर के दाखिल खारिज वाद सं०-869/3 वर्ष 2013-14 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा अपने दिनांक 04.08.2015 के आदेश से निरस्त किया जा चुका है, परन्तु अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।</p> <p>यह मामला जमाबंदी रद्द का नहीं है। आवेदक इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर से सम्पर्क कर सकते हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर अपने आदेश के अनुपालन का आदेश अंचलाधिकारी, पटना सदर को दे सकेंगे।</p> <p>वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>(वज्रैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p>(वज्रैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p>	